भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1895
(11 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

दिशा समिति

1895. श्री राजीव राय:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के प्रत्येक जिले में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की स्थापना के लिए दिशानिर्देश क्या हैं और इसकी बैठक बुलाने के लिए निर्धारित समय -सीमा क्या है;
(ख) वर्ष 2023 और 2024 में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में दिशा समिति की आयोजित बैठकों की संख्या क्या है;
(ग) क्या ये समितियां दिशानिर्देशों में निर्धारित समय-सीमा का पालन कर रही हैं, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए चलायी जा रही योजनाओं की संख्या क्या है और उत्तर प्रदेश में कार्यशील योजनाओं की संख्या क्या है; और
(ङ) विगत दो वर्षों में इन योजनाओं के लिए योजनावार और जिलावार जारी की गई कुल धनराशि क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने व्यापक दिशानिर्देश तैयार किए हैं और यह ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट <di sha.gov.i n/gui del i nes> पर जन सामान्य के लिए उपलब्ध है , जो अन्य बातों के साथ -साथ दिशा समितियों के उद्देश्यों , संरचना और कार्य क्षेत्र को परिभाषित करते है। इन दिशानिर्देशों में जिला समितियों में अध्यक्ष , उप-अध्यक्ष, विशिष्ट अतिथि, गैर-सरकारी सदस्यों के साथ समितियों के गठन और राज्य समितियों में सदस्यों के नामांकन का प्रावधान है। जहां तक दिशा बैठकों के अंतराल का प्रश्न है , यह अधिदेश है कि

राज्य स्तरीय दिशा बैठकें प्रत्येक छः माह में एक बार तथा जिला स्तरीय दिशा बैठकें प्रत्येक तिमाही में एक बार आयोजित करनी आवश्यक है।

(ख) उत्तर प्रदेश में वर्ष 2023-24 और वर्ष 2024-25 (आज तक) के दौरान आयोजित जिला स्तरीय दिशा समिति की बैठकों की कुल संख्या का जिला -वार ब्यौरा (उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार) अनुबंध-I में दिया गया है।

(ग) केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और जिलों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए दिशा बैठकों का समय पर होना महत्वपूर्ण है। दिशा के प्रभावशाली महत्व को समझते हुए , ग्रामीण विकास मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रहा है कि ये बैठकें नियमित आधार पर आयोजित की जाएं। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित सदस्य सचिवों (जिला कलेक्टरों, मजिस्ट्रेटों, उपायुक्तों) को निर्देश देने का आग्रह किया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि जिला स्तरीय दिशा बैठकें दिशा समिति के दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित की जाएं। माननीय संसद सदस्यों से भी समय -समय पर अपने -अपने जिलों में नियमित आधार पर दिशा बैठकें आयोजित करने का अनुरोध किया गया है।

(घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए बहुआयामी कार्यनीति अपनाई है, जिसका मुख्य उद्देश्य आजीविका के अवसरों में वृद्धि , ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना , सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करना , बुनियादी ढांचे का विकास करना आदि है। इस संबंध में, ग्रामीण विकास मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सहित देश में कई लक्षित कार्यक्रम लागू कर रहा है जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) का वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी)।

(ड.) भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के लिए राज्य सरकारों को निधियां जारी की जाती है। आगे राज्य सरकारों द्वारा संबंधित जिलों को निधियां जारी की जाती है। उत्तर प्रदेश के संबंध में योजना-वार जारी की गई निधि का ब्यौरा अनुबंध-।। में दिया गया है।

अनुबंध ।

वर्ष 2023-24 और वर्ष 2024-25 के दौरान उत्तर प्रदेश के जिलों में जिला स्तर पर आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठकों की कुल संख्या का ब्यौरा:

क्र. सं.	जिले	वर्ष 2024-25 में आयोजित बैठकें	वर्ष 2023 - 24 में आयोजित बैठकें
1	आगरा	2	1
2	अलीगढ	0	1
3	इलाहाबाद (प्रयागराज)	0	3
4	अंबेडकरनगर	1	2
5	अमेठी	0	0
6	अमरोहा (ज्येतिबा फुले नगर)	1	2
7	औरैया	0	1
8	आजमगढ़	1	2
9	बागपत	1	1
10	बहराईच	1	2
11	बलिया	1	2
12	बलरामपुर (उ. प्र.)	1	2
13	बाँदा	1	2
14	बाराबंकी	1	2
15	बरेली	2	3
16	बस्ती	1	1
17	बिजनौर	3	3
18	शाहजहांपुर	0	1
19	बुलन्दशहर	1	2
20	चंदौली	1	2
21	चित्रकूट	1	2
22	देवरिया	1	2
23	एटा	1	2
24	इटावा	0	1
25	फैजाबाद (अयोध्या)	1	3
26	फर्रुखाबाद	0	1
27	फ़तेहपुर	1	3

28	फिरोजाबाद	0	2
29	गौतमबुद्ध नगर	0	1
30	गाजियाबाद	1	1
31	गाजीपुर	1	0
32	गोंडा	1	2
33	गोरखपुर	1	1
34	हमीरपुर (उ. प्र.)	0	0
35	हापुड	1	3
36	हरदोई	1	1
37	हाथरस (महामाया नगर)	0	4
38	जालौन	1	3
39	जौनपुर	1	1
40	झांसी	2	2
41	कन्नौज	0	1
42	कानपुर देहात	0	3
43	कानपुर नगर	1	2
44	कांशीराम नगर (कासगंज)	1	2
45	कौशांबी	1	2
46	खेरी	1	4
47	कुशीनगर	1	2
48	ललितपुर	2	1
49	लखनऊ	0	1
50	महाराजगंज	1	2
51	महोबा	0	1
52	मैनपुरी	0	0
53	मथुरा	1	1
54	मऊ	1	0
55	मेरठ	1	1
56	मिर्जापुर	1	3
57	मुरादाबाद	1	1
58	मुजफ्फरनगर	1	1
59	पीलीभीत	1	2

60	प्रतापगढ़ (उ. प्र.)	1	2
61	रायबरेली	1	0
62	रामपुर	1	1
63	सहारनपुर	1	2
64	संभल	1	1
65	संतकबीरनगर	1	1
66	संत रविदास नगर (भदोही)	0	2
67	शाहजहांपुर	1	2
68	शामली	1	2
69	श्रावस्ती	1	2
70	सिद्धार्थनगर	0	3
71	सीतापुर	1	1
72	सोनभद्र	0	1
73	सुल्तानपुर	1	2
74	उन्नाव	0	2
75	वाराणसी	0	0

अनुबंध-।।

उत्तर प्रदेश के संबंध में योजना-वार जारी की गई निधि का ब्यौरा:

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	**योजना का नाम**	**केंद्र सरकार द्वारा जारी निधियां**	
		वि.व. 2022-23	**वि.व. 2023-24**
1	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)	10629.01	9808.55
2	प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-जी)	4777.03	2620.93
3	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	2068.57	2679.63
4	दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई एनआरएलएम)	1108.45	1477.94
5	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू जीकेवाई)	0.00*	0.00*
6	ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)	0.00*	0.00*
7	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)	1835.18	1393.01
8	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) का वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी)	0.00	86.20

* ये मांग आधारित योजनाएं हैं और राज्यों द्वारा उठाई गई मांगों के आधार पर निधियां जारी की जाती है।